


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

५

सं. 501] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 1994/आश्विन 11, 1916
No. 501] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 1994/ASVINA 11, 1916

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994

का.आ. 723(प्र).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 का प्रारंभ संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (दो सौ पच्चीसवां संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत “क. औद्योगिक विकास विभाग” उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“24. तकनीकी विकास, इसके अंतर्गत औद्योगिक लागत और कीमत व्यूह और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी है।”;

(ख) “जल संसाधन मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 30 का लोप किया जाएगा।”

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति

[फाइल सं. 74/2/4/94-मंत्रि.]
संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1994

S.O. 723(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and twenty-fifth Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)”, under sub-heading “A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)”, for entry 24, the following entry shall be substituted, namely :—

“24. Technical Development including Bureau of Industrial Costs and Prices and United Nations Industrial Development Organisation.” ;

(b) under the heading “MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALAYA)”, entry 30 shall be omitted.”.

SHANKER DAYAL SHARMA
PRESIDENT

[F. No. 74/2/4/94-Cab]
SANJIV MISRA, Jt. Secy.